

पंजाब वैश्वनल बैंक Upunjab national bank

Scrip Code: PNB	Scrip Code : 532461
The Asstt. Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	The Dy General Manager Bombay Stock Exchange Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 23.02.2021

Dear Sir (s),

Reg.: Newspaper Publication- Notice of EGM.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and with reference to our intimation dated 17.02.2021, please find enclosed the copies of the Notice of EGM *inter alia* containing the details in respect of evoting, published in Business Standard (Hindi and English editions) on 23.02.2021.

This is for your information and record please.

Thanking you, Yours faithfully.

(Ekta Pasricha) Company Secretary

Encl. a/a

विज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली 23 फरवरी 2021 मंगलवार

पंजाब नेशनल बैंक ...पाते वर प्राप्त /

प्रधान कार्यालयः प्लॉट सं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 (उँमेलः hosd@pnb.co.in)

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाने वाली आसाधारण आम बैठक की सूचना

यह कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कॉपेरिट मामले मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र सं. 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020 तथा इसके बाद जारी परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020 तथा इसके बाद जारी परिपत्र सं. 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर, 2020 दिनांक 28 सितंबर के संपत्रीए परिपत्र सं. संबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 तथा संबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुसार वीडियो कांफ्रोसंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएबीएम) के माध्यम से बुधवार, 17 मार्च, 2021 को प्रात: 11.00 (भारतीय मानक समय) बने निम्नलिखित कार्य करने के लिए, किसी साबंजनिक स्थल पर शेयरधारकों के भीतिक रूप से उपस्थित हुए बिना, आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) से संबंधित दिनांक 05.02.2021 को समाचारपत्र में प्रकाशित हमारी स्थलन के संदर्भ में है:

कार्यसूची मदः 'राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 पीएसबी के बोर्ड में निर्वाधित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर दिनांक 02 अगस्त, 2019 को जारी आरबीआई के मास्टर निदेश, यथा संशोधित तथा नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य निदेशों/दिशा-निर्देशों के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेवरधारकों में से पंजाब नैशनल बैंक के एक निदेशक का निर्वाधन करने हेता।'

टिप्पणियाः

- •1. उपर्युक्त उल्लिखित प्रयोज्य दिशा—ितर्देशों के अनुपालन में, असाधारण आम बैठक की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों उन समस्त शेयरधारकों को भेज दी गई हैं जिनके इंमेल पते बैंक/िक्षेपागार सहभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। असाधारण आम बैठक की विस्तृत स्चना प्रासंगिक प्रपत्नों के साथ बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.pnbindia.ln, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों अर्थात् क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा राष्ट्रीय प्रतिभृति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) को वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- शैयरधारक केवल बीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से असाधारण आम बैठक में धाग ले सकते हैं। बीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से धाग लेने वाले शैयरधारकों की गणना पीएनबी (शैयर तथा बैठकों) विनियमन, 2000 के विनियम 58 के तहत् कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी। असाधारण आम बैठक के लिए मानित स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। असाधारण आम बैठक में बीसी/ओएबीएम के माध्यम से धाग लेने के निर्देश विस्तृत सुचना में उल्लिखित हैं।
- उलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदानः शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेवी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, यथा संशोधित ("ई-मतदान नियम") के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को अपने शेयरधारकों को, राष्ट्रीय प्रतिभृति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए ई-मतदान प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-मतदान तथा असाधारण आम बैठक के दौरान ई-मतदान) हारा चुनाव में मतदान करने के उनके अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए हर्ष हो रहा है तथा शेयरधारक इसके लिए एनएसडीएल को वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध सूचना में विस्तारपूर्वक दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
- 4. अंतिम तिथि/निर्दिष्ट तिथि: बँक ने पूर्वकथित चुनाव में नामित करने, चुनाव लड़ने और मतदान (दूरस्थ ई-बोर्टिंग और असाधारण आम बैठक में ई-बोर्टिंग) करके धाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के प्रयोजन से शुक्रवार, 19 फरवरी, 2021 को निर्दिष्ट/अंतिम तिथि के रूप में सुनिश्चित किया है।
- उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 02 मार्च 2021 (मंगलवार) को अपराह 04,00 बजे तक है।



- 6. ॲतिम तिथि अर्थात 19 फरवरी, 2021 को शेयर रखने वाले शेयरभारक, ई-बोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सूचना में यथा उपलब्ध प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम ॲतिम तिथि के अनुसार शेयरधारक/लाभकारी स्वामी के रिजस्टर (निक्षेपागारों द्वारा रखा गया) में दर्ज है, वह दूरस्थ ई-मतदान/असाधारण आम बैठक में ई-मतदान की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
- 7. दूरस्थ ईं-मतदान की अवधि: दूरस्थ ईं-मतदान शुक्रवार 12 मार्च 2021 को प्रात: 9,00 बजे शुरू होगा और मंगलवार 16 मार्च 2021 को अपराहन 5:00 बजे समान्त होगा तथा इस तिथि और समय के बाद दूरस्थ ईं-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अस्तदान का अधिकार: बँककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनयम 1970 की पारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बँक का कोई शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10% से ऊपर उसके द्वारा रखे गए शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक ब्यक्तियों के नाम में होता है, तो रिजस्टर में प्रथम नाम के ब्यक्ति को, मतदान के मामले में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।
- 10. ई-बोटिंग नियमों के अनुसार, केवल वे शेयरधारक, जो ईजीएम में मौजूद हैं तथा जिन्होंने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से अपना बोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वे बाधित नहीं है, उन्हें असाधारण आम बैठक में ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एक शेयरधारक ईजीएम में भाग ले सकता है, परंतु ऐसे शेयरधारक को फिर से असाधारण आम बैठक में मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
- 11. ऑतिम तिथि को पीतिक रूप से शेयर भारण करने वाले शेयरपारक और/या जिन्होंने वैक/निक्षेपागार में अपनी इंमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे द्रस्य इं-मतदान या असाधारण आम बैठक में इं-मतदान के माध्यम से वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि वैंक की वेबसाइट अर्थात् www.pnbindia.in पर उपलब्ध असाधारण आम बैठक की सुचना में निर्थारित है।
- 12. भीतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक जिन्होंने अपना इंमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) अर्थात मैससं बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राई.) लिमिटेड के साथ beetal@beetalfinancial.com पर पंजीकृत करें और वे शेयरधारक जिन्होंने डीमैंट रूप में शेयर धारण कर रखे हैं और अपनी इंमेल आईडी पंजीकृत/अद्यतित नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए अपने निक्षेपागार सहधाणी (डीपी) से संपर्क करें।
- 13. बैठक में एक्सेस करने और भाग लेने के लिए अपेक्षित सहायता सहित किसी भी जानकारी पेशिकायत के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पृछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य्) और www.evoting.nsdl के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-मतदान उपयोगकर्ता पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 2244 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या सुश्री पल्लवी महाने, प्रबंधक या सुश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक, राष्ट्रीय प्रतिभृति विश्वेषणार लिमिटेड, ट्रेड वर्लड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बपत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 से निर्दिष्ट ईमेल आईडी-evoting@nsdl.co.in या pallavid@nsdl.co.in या Sonis@nsdl.co.in या द्रभाष नं.: 022-24994545, 022-24994559 पर संपर्क करें।
- 14. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे किसी अन्य जानकारी/प्रक्रिया के लिए इंजीएम के विस्तृत नोटिस का संदर्भ लें।

निदेशक मंडल के आदेश से कते पंजाब नैशनल बैंक

> ह./-(एकता पसरीचा) कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 22,02,2021



Business Standard NEW DELHI | TUESDAY, 23 FEBRUARY 2021



Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110 075 (Email hosd@pnb.co.in)

Notice of the Extraordinary General Meeting to be held through VC/OAVM

This has reference to our Newspaper Notice dated 05.02.2021 regarding the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank to be held on Wednesday 17" March, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM) in accordance with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 followed by Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") in view of COVID-19 pandemic, without the physical presence of shareholders at a common venue, to transact the following business:

Agenda Item: 'To elect ONE Director of Punjab National Bank from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated August 02, 2019 as amended, and other applicable Directives / Guidelines issued by Regulatory Authorities.'

Notes:

- In compliance of the aforesaid applicable Guidelines, electronic copies of the Notice of the EGM have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank/Depository Participant(s). A copy of the detailed Notice of the EGM along with the relevant Forms is available on website of the Bank i.e. www.pnbindia.in, the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.
- Shareholders can join and participate in the EGM through VC/OAVM facility only. Shareholders participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of PNB (Shares and Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for EGM shall be the Head Office of the Bank. The instructions for participating in the EGM through VC/OAVM are set forth in the detailed Notice.
- 3. Voting through Electronic Means: Shareholders may please note that in compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ["E-voting Rules"] read with the MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in the Election by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and the shareholders may follow the procedure for the same as detailed in the Notice available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- Cut-Off Date / Specified Date: The Bank has fixed Friday, 19" February, 2021 as the Specified/ Cut-off Date for the purpose of determining the Shareholders eligible for participating i.e. nominating, contesting and voting (remote e-voting and e-voting at the EGM) in the aforesaid Election.
- The last date for receipt of Nominations from candidates is 02rd March, 2021 (Tuesday) by 04.00 p.m.



- The Shareholder holding shares as on the Cut-Off Date i.e. 19"February, 2021, may follow the procedure as provided in the Notice for obtaining the login ID and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders / Beneficial owners (maintained by the Depositories) as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the EGM.
- Remote E-voting period: The remote e-voting will commence on Friday, 12ⁿ March, 2021 at 9:00 a.m. and end on Tuesday, 16ⁿ March, 2021 at 5:00 p.m. and the remote e-voting shall not be allowed beyond this date and time.
- Voting Rights: In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
- 10. In terms of the E-voting Rules, only those shareholders, who are present in the EGM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system at the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again at the EGM.
- 11. Shareholders holding shares in physical form as on the Cut-off date and/or those who have not registered their email id with the Bank/Depository are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM, as stipulated in the Notice of the EGM available on the website of the Bank i.e. www.pnbindia.in.
- 12. Shareholders holding shares in physical form who have not registered their email id are requested to register the same with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) i.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. at beetal@beetalfinancial.com and those Shareholders who are holding shares in demat form and have not registered / updated their email ids are requested to approach their Depository Participant (DP) for the same.
- 13. In case of any queries/grievances including assistance required to access and participate in the meeting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 2244 30 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email ids- evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone nos.:-022-24994545, 022-24994559.
- Shareholders are requested to refer the detailed Notice of EGM for any other information/ procedure.

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank sd/-(Ekta Pasricha)

Place: New Delhi (Ekta Pasricha)
Date: 22.02.2021 Company Secretary

